

# आरईसी लिमिटेड

## की

संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन की महत्ता और

संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन का निपटारा

करने संबंधित नीति

[भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण  
अपेक्षाएं)

विनियम, 2015 के अनुसरण में]

## विषय-सूची

| क्र. सं. | विवरण  | पृष्ठ संख्या       |
|----------|--|--------------------|
| I        | प्रस्तावना   | 3                  |
| II       | प्रयोज्यता   | 3                  |
| III      | उद्देश्य   | 3                  |
| IV       | परिभाषाएं  | 3                  |
| V        | संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन की महत्ता<br>संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन का निपटारा<br>• लेखापरीक्षा समिति का अनुमोदन<br>• निदेशक मंडल का अनुमोदन<br>• शेयरधारकों का अनुमोदन | 9<br>9<br>11<br>12 |
| VI       | संबंधित पक्ष के लेन-देन के संबंध में लेखापरीक्षा समिति, निदेशक मंडल और शेयरधारकों के पूर्व अनुमोदन की मांग के लिए दी गई सूचना  | 14                 |
| VII      | संबंधित पक्ष के साथ लेखापरीक्षा समिति/बोर्ड/शेयरधारकों के अनुमोदन के बिना किए गए लेन-देन का अनुसमर्थन  | 15                 |
| VIII     | प्रकटीकरण  | 16                 |
| IX       | समीक्षा करने की शक्ति  | 17                 |
| --       | अनुलग्नक I - प्रपत्र एओसी-2  | 18                 |

## I. प्रस्तावना

इस नीति को आरईसी लिमिटेड ("आरईसी") की 'संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन की महत्ता और संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन का निपटारा संबंधित नीति ' कहा जाएगा।

यह नीति सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 [सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015] और समय-समय पर सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई है।

## II. प्रयोज्यता

यह नीति कंपनी और इससे संबंधित पक्षकारों के बीच सभी लेन-देन पर लागू होगी।

## III. उद्देश्य

यह नीति संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन की महत्ता को निर्धारित करने के लिए मानदंड तैयार करती है। इस नीति का उद्देश्य कंपनी अधिनियम, 2013, डीपीई दिशानिर्देशों, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और किसी भी अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में आरईसी और उससे संबद्ध पक्षकारों के बीच लेन-देन की उचित मंजूरी और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है, इस संबंध में फिलहाल लागू है।

यह नीति इस तरह के संबंधित पक्ष के लेन-देन में प्रवेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले से अनुमोदित मौजूदा नीतियों और प्रथाओं, शक्तियों के प्रत्यायोजन आदि का पूरक होगा।

## IV. परिभाषाएं

- अधिनियम:** अधिनियम का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियम;
- आर्म्स लेथ ट्रांजैक्शन:** का अर्थ है दो संबंधित पक्षकारों के बीच एक ऐसा लेन-देन जो इस तरह से किया जाता है जैसे कि वे असंबंधित हों, उनमें हितों का कोई टकराव न हो, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 (1) के स्पष्टीकरण (ख) में परिभाषित है।
- सहयोगी कंपनी -** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(6) के अनुसार, सहयोगी कंपनी, किसी अन्य कंपनी के संबंध में, एक ऐसी कंपनी है जिसमें उस अन्य कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है, लेकिन जो इस तरह के प्रभाव वाली कंपनी की अनुषंगी कंपनी नहीं है और इसमें एक संयुक्त उद्यम कंपनी भी शामिल है।

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, 'महत्वपूर्ण प्रभाव' का अर्थ है कुल मतदान शक्ति पर कम से कम बीस प्रतिशत का नियंत्रण, या एक समझौते के तहत कारोबारिक निर्णयों में नियंत्रण या भागीदारी। इसके अलावा, "संयुक्त उद्यम" का अर्थ एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके द्वारा व्यवस्था का संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षकारों के पास व्यवस्था की निवल परिसंपत्ति का भी अधिकार होता है।

4. **लेखा परीक्षा समिति:** का अर्थ है सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा गठित "लेखा परीक्षा समिति", जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
5. **बोर्ड:** का अर्थ है आरईसी लिमिटेड (पूर्ववर्ती रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड) के निदेशक मंडल।
6. **कंपनी/आरईसी:** अर्थात् आरईसी लिमिटेड।
7. **सरकारी कंपनी:** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार, 'सरकारी कंपनी' का अर्थ ऐसी किसी भी कंपनी से है, जो केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत धारित हो, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा, और इसमें ऐसी कंपनी शामिल है जो ऐसी सरकारी कंपनी की अनुषंगी कंपनी है।
8. **प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) :-** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014, "प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक", के संबंध में एक कंपनी, अर्थात्-
  - (i) मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक;
  - (ii) पूर्णकालिक निदेशक;
  - (iii) कंपनी सचिव;
  - (iv) मुख्य वित्तीय अधिकारी;
  - (v) ऐसे अन्य अधिकारी, जो निदेशकों के एक स्तर से अधिक नहीं हों, जो पूर्णकालिक रोजगार में हों, जिन्हें बोर्ड द्वारा प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के रूप में नामित किया गया हो; तथा
  - (vi) ऐसे अन्य अधिकारी जो अधिनियम में विहित किए जाएं।

9. "महत्वपूर्ण संशोधन" का अर्थ मौजूदा संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन के मूल्य में संशोधन होगा, जिसका मूल अनुबंध के मूल्य में 30% या ₹100 करोड़, जो भी कम हो, के परिवर्तन का प्रभाव है।

10. **संबंधित पक्ष** : एक एंटीटी को कंपनी से संबंधित माना जाएगा यदि:

- (i) ऐसी एंटीटी जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) के तहत परिभाषित एक संबंधित पक्ष है; या
- (ii) ऐसी एंटीटी जो लागू लेखा मानक (कों) के तहत एक संबंधित पक्ष है।

बशर्ते कि:

- (क) सूचीबद्ध एंटीटी के प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा बनने वाला कोई भी व्यक्ति या एंटीटी; या
- (ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान तत्काल, किसी भी समय, कोई भी व्यक्ति या कोई एंटीटी हो जिसके पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 के तहत प्रत्यक्ष या लाभकारी ब्याज के आधार पर कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी का 20% या उससे अधिक (1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी 10% या अधिक) हिस्सा है

उसे भी संबंधित पक्ष माना जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) के अंतर्गत संबंधित पक्ष

- (क) एक निदेशक या उससे संबद्ध ;
- (ख) एक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उससे संबद्ध;
- (ग) एक फर्म, जिसमें एक निदेशक, प्रबंधक या उससे संबद्ध भागीदार है;
- (घ) एक निजी कंपनी जिसमें एक निदेशक या प्रबंधक या उसके संबन्धित, एक सदस्य या निदेशक है;
- (ङ) एक सार्वजनिक कंपनी जिसमें एक निदेशक या प्रबंधक एक निदेशक है और उसके संबंधी के साथ अपनी प्रदत्त शेयर पूंजी का दो प्रतिशत से अधिक रखता है;
- (च) कोई भी कॉर्पोरेट निकाय जिसका निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक किसी निदेशक या प्रबंधक की सलाह, निर्देशों या अनुदेशों के अनुसार कार्य करने हेतु अभ्यस्त है;
- (छ) कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी सलाह, निर्देश या अनुदेश पर कोई निदेशक या प्रबंधक कार्य करने हेतु अभ्यस्त है:

बशर्ते कि उप-खंड (vi) और (vii) में कुछ भी पेशेवर क्षमता में दी गई सलाह, निर्देशों या अनुदेशों पर लागू नहीं होगा;

(ज) कोई भी कंपनी जो-

(क) ऐसी कंपनी की एक धारक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी; या

(ख) एक धारक कंपनी की एक अनुषंगी कंपनी जिसके लिए वह एक अनुषंगी कंपनी भी है, या

(ग) एक निवेश करने वाली कंपनी या कंपनी का उद्यमकर्ता जिसका तात्पर्य एक कॉर्पोरेट निकाय से है जिसका कंपनी में निवेश के परिणामस्वरूप कंपनी कॉर्पोरेट निकाय की सहयोगी कंपनी बन जाएगी।

(झ) एक निदेशक, एक स्वतंत्र निदेशक के अलावा, या धारक कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उसके संबंधित।

(ञ) ऐसा अन्य व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 या उस समय लागू किसी अन्य वैधानिक प्रावधान के तहत निर्धारित किया जा सकता है।

लागू लेखा मानकों के तहत संबंधित पक्ष : भारतीय लेखा मानकों (इंड एस 24) के अनुसार, एक संबंधित पक्ष एक व्यक्ति या एंटीटी है, उस एंटीटी से संबंधित है जो अपने वित्तीय विवरण तैयार कर रही है (जिसे 'रिपोर्टिंग एंटीटी' कहा जाता है) यह प्रणाली निम्नलिखित है:

(क) एक व्यक्ति या उस व्यक्ति के परिवार का एक करीबी सदस्य एक रिपोर्टिंग एंटीटी से संबंधित है यदि उस व्यक्ति का :

(i) रिपोर्टिंग एंटीटी पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण है;

(ii) रिपोर्टिंग एंटीटी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है; या

(iii) रिपोर्टिंग एंटीटी के प्रमुख प्रबंधन कर्मिकों या रिपोर्टिंग एंटीटी के मूल सदस्य है;

(ख) एक एंटीटी एक रिपोर्टिंग एंटीटी से संबंधित होती है यदि निम्न में से कोई भी शर्त लागू हो तो:

(i) एंटीटी और रिपोर्टिंग एंटीटी एक ही समूह के सदस्य हैं (जिसका अर्थ है कि प्रत्येक मौलिक, अनुषंगी और सहायक अनुषंगी अन्य से संबंधित हैं)।

(ii) एक एंटीटी दूसरी एंटीटी का सहयोगी या संयुक्त उद्यम है (या किसी समूह के सदस्य का सहयोगी या संयुक्त उद्यम जिसका अन्य एंटीटी सदस्य है)।

(iii) दोनों एंटीटी तीसरे पक्ष के संयुक्त उद्यम हैं।

- (iv) एक एंटीटी तीसरी एंटीटी का संयुक्त उद्यम है और दूसरी एंटीटी तीसरी एंटीटी का सहयोगी है।
- (v) एंटीटी या तो रिपोर्टिंग एंटीटी या रिपोर्टिंग एंटीटी से संबंधित एंटीटी के कर्मचारियों के लाभ के लिए रोजगार के बाद लाभ योजना है। यदि रिपोर्टिंग एंटीटी स्वयं ऐसी योजना है, तो स्पॉन्सoring नियोक्ता भी रिपोर्टिंग एंटीटी से संबंधित होते हैं।
- (vi) एंटीटी (क) में पहचान की गई व्यक्ति द्वारा नियंत्रित या संयुक्त रूप से नियंत्रित होती है।
- (vii) (क) (i) में पहचान की गई व्यक्ति का एंटीटी पर महत्वपूर्ण प्रभाव है या वह एंटीटी के प्रमुख प्रबंधन कर्मियों (या एंटीटी के मूल) का सदस्य है।
- (viii) एंटीटी, या समूह का कोई भी सदस्य जिसका वह हिस्सा है, रिपोर्टिंग एंटीटी या रिपोर्टिंग एंटीटी के मूल को प्रमुख प्रबंधन कर्मियों की सेवाएं प्रदान करता है।

**11. संबंधित पक्ष के लेन-देन:** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 में संबंधित पक्ष के साथ सभी अनुबंध या व्यवस्थाएं शामिल हैं: -

- (क) किसी भी वस्तु या सामग्री की बिक्री, खरीद या आपूर्ति;
- (ख) किसी भी प्रकार की संपत्ति को बेचना या भिन्न प्रकार से निपटाना या खरीदना;
- (ग) किसी भी प्रकार की संपत्ति को पट्टे पर देना;
- (घ) किसी भी सेवा का लाभ उठाना या प्रदान करना;
- (ङ) माल, सामग्री, सेवाओं या संपत्ति की खरीद या बिक्री के लिए किसी एजेंट की नियुक्ति;
- (च) कंपनी, इसकी अनुषंगी कंपनी या सहायक कंपनी में किसी भी कार्यालय या लाभ के स्थान पर ऐसे संबंधित पक्ष की नियुक्ति; तथा
- (छ) कंपनी की किसी भी प्रतिभूति या उसके व्युत्पन्न सदस्यता को हामीदारी करना।

इसके अलावा, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार, "संबंधित पक्ष लेन-देन" का अर्थ कंपनी और संबंधित पक्ष के बीच संसाधनों, सेवाओं या दायित्वों का हस्तांतरण:-

- एक तरफ सूचीबद्ध एंटीटी या उसकी कोई अनुषंगी कंपनी और दूसरी तरफ सूचीबद्ध एंटीटी या उसकी कोई अनुषंगी कंपनी से संबंधित पक्ष, या
- 1 अप्रैल, 2023 से, एक सूचीबद्ध एंटीटी या उसकी कोई अनुषंगी कंपनी, और दूसरी तरफ कोई अन्य व्यक्ति या एंटीटी, उद्देश्य और प्रभाव में से सूचीबद्ध एंटीटी या उसकी किसी अनुषंगी कंपनी के संबंधित पक्ष को लाभ पहुंचाना है;

इस बात की परवाह किए बिना कि क्या कोई मूल्य लगाया गया है और संबंधित पक्ष के साथ एक "लेन-देन" को अनुबंध में एकल लेन-देन या लेन-देन के समूह को शामिल करने के लिए माना जाएगा।

बशर्ते कि निम्नलिखित संबंधित पक्ष लेनदेन का हिस्सा नहीं होगा:

- (क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का इश्यू) विनियम, 2018 के तहत आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन, अधिमान्य आधार पर निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का इश्यू ;
- (ख) सूचीबद्ध इकाई द्वारा निम्नलिखित कॉर्पोरेट कार्रवाइयां जो सभी शेयरधारकों पर उनकी शेयरधारिता के अनुपात में समान रूप से लागू/प्रस्तावित हैं:
  - i. लाभांश का भुगतान;
  - ii. प्रतिभूतियों का उप-विभाजन या समेकन;
  - iii. राइट्स इश्यू या बोनस इश्यू के माध्यम से प्रतिभूतियाँ जारी करना; और
  - iv. प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद।

**12. संबंधित** - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (77) के अनुसार, 'संबंधित', किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में, कोई भी व्यक्ति जो निम्नलिखित तरीके से दूसरे से संबंधित है –

- (क) एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य के रूप में;
- (ख) पति और पत्नी के रूप में;
- (ग) सौतेले पिता सहित पिता।
- (घ) सौतेली माँ सहित माँ।
- (ङ) सौतेला बेटा सहित बेटा।
- (च) बेटे की पत्नी।
- (छ) बेटी।
- (ज) बेटे का पति।
- (झ) सौतेले भाई सहित भाई।
- (ञ) सौतेली बहन सहित बहन।

**13. अनुषंगी कंपनी:** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) के अनुसार, किसी अन्य कंपनी (अर्थात धारक कंपनी) के संबंध में एक 'अनुषंगी कंपनी' या 'अनुषंगी' का अर्थ ऐसी कंपनी से है, जिसमें धारक कंपनी-

- (i) निदेशक मंडल की संरचना को नियंत्रित करता है; या

(ii) कुल शेयर पूंजी के आधे से अधिक का प्रयोग या नियंत्रण या तो स्वयं या अपनी एक या अधिक अनुषंगी कंपनियों के साथ करता है:

बशर्ते कि धारक कंपनियों के एक ऐसे वर्ग या वर्ग के रूप में निर्धारित किया जा सकता है, जिसमें निर्धारित संख्या से अधिक अनुषंगी कंपनियों की परतें नहीं होंगी।

स्पष्टीकरण-इस खंड के प्रयोजनों के लिए-

- (क) एक कंपनी को धारक कंपनी की अनुषंगी कंपनी माना जाएगा, भले ही उप-खंड (i) या उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट नियंत्रण धारक कंपनी की किसी अन्य अनुषंगी कंपनी का हो;
- (ख) एक कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना को किसी अन्य कंपनी द्वारा नियंत्रित माना जाएगा यदि वह अन्य कंपनी अपने विवेक पर कुछ शक्ति का प्रयोग करके सभी या अधिकांश निदेशकों को नियुक्त या हटा सकती है;
- (ग) अभिव्यक्ति "कंपनी" में कोई भी निगमित निकाय शामिल है;
- (घ) "लेयर" का अर्थ है एक धारक कंपनी के संबंध में उसकी अनुषंगी या अनुषंगी कंपनियां;

इस नीति में उपयोग किए गए और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों या अभिव्यक्तियों का, लेकिन किसी अन्य कानून में परिभाषित किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें दिया गया है।

## V. संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन की महत्ता

एक संबंधित पक्ष के साथ एक लेन-देन को 'महत्ता' माना जाएगा यदि लेन-देन को व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया जाना है या एक वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेन-देन के साथ लिया गया है, कंपनी के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार ₹1,000 करोड़ या कंपनी के वार्षिक समेकित कारोबार के दस प्रतिशत से अधिक, जो भी कम हो।

उपरोक्त के बावजूद, किसी संबंधित पक्ष को ब्रांड उपयोग या रॉयल्टी के संबंध में किए गए भुगतानों को महत्वपूर्ण माना जाएगा यदि लेन-देन(ओं) व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया जाना है या एक वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेन-देन के साथ मिलकर, कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार, वार्षिक समेकित कारोबार के पांच प्रतिशत से अधिक हो।

## संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन का निपटारा

कंपनी किसी भी संबंधित पक्ष के साथ किसी भी अनुबंध (ओं) या व्यवस्था (ओं) या लेन-देन (ओं) में दर्ज करेगी, केवल निम्नलिखित के पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, छूट के अधीन, यदि कोई हो, किसी भी कानून के तहत वर्तमान में लागू: -

- (i) **लेखा परीक्षा समिति:** सभी संबंधित पक्ष लेन-देन के लिए लेखा परीक्षा समिति के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी या तो संचलन द्वारा या किसी बैठक में और केवल वे लेखा परीक्षा समिति के सदस्य, जो स्वतंत्र निदेशक हैं, संबंधित पक्ष लेनदेन को मंजूरी देंगे।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा समिति कम से कम वार्षिक आधार पर दीर्घकालिक (एक वर्ष से अधिक) या आवर्ती आरपीटी की स्थिति की भी समीक्षा करेगी।

- (ii) एक संबंधित पक्ष लेन-देन जिसके लिए आरईसी की अनुषंगी कंपनी एक पक्ष है लेकिन आरईसी एक पक्ष नहीं है, आरईसी की लेखा परीक्षा समिति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी, यदि इस तरह के लेन-देन का मूल्य व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया गया हो या एक वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेन-देन के साथ लिया गया हो। कंपनी के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार वार्षिक समेकित कारोबार के दस प्रतिशत से अधिक है।

1 अप्रैल, 2023 से, एक संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन जिसमें आरईसी की अनुषंगी कंपनी एक पक्ष है लेकिन आरईसी एक पक्ष नहीं है, को आरईसी की ऑडिट कमेटी के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी यदि इस तरह के लेन-देन का मूल्य व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया गया हो या एक साथ लिया गया हो तो अनुषंगी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष के दौरान पिछला लेन-देन वार्षिक स्टैंडअलोन टर्नओवर के दस प्रतिशत से अधिक है।

- (iii) लेखापरीक्षा समिति इस नीति के अनुसार, कंपनी द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित संबंधित पक्ष लेन-देनों के लिए सर्वग्राही अनुमोदन भी प्रदान कर सकती है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

क. सर्वग्राही अनुमोदन प्रदान करने के लिए निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा विचार किए जाने वाले मानदंड में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- (i) लेखापरीक्षा समिति सर्वग्राही अनुमोदन की आवश्यकता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसा अनुमोदन कंपनी के हित में है;
- (ii) सर्वग्राही अनुमोदन उन लेन-देनों के संबंध में लागू होगा जो इसके स्वरूप में दोहरावदार हैं;
- (iii) लेन-देन का अधिकतम कुल मूल्य जिसे एक वर्ष में सर्वग्राही मार्ग के तहत अनुमोदित किया जा सकता है, तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के कारोबार के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए;

- (iv) प्रत्येक लेन-देन अधिकतम मूल्य जिसकी अनुमति दी जा सकती है, तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के कारोबार के दो प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए;
- (v) लेन-देन को कारोबार के सामान्य कार्यप्रणाली में दर्ज करने का प्रस्ताव है। जबकि एक प्रस्ताव का आकलन करते समय, लेखा परीक्षा समिति प्रबंधन से औचित्य/दस्तावेज मांग सकती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि लेन-देन कारोबार के सामान्य क्रम में है और आर्म्स लेंथ है या नहीं।
- (vi) लेखा परीक्षा समिति कम से कम तिमाही के आधार पर, कंपनी द्वारा दिए गए प्रत्येक सर्वग्राही अनुमोदन के अनुसार संबंधित पक्ष के लेन-देन के विवरण की समीक्षा करेगी।
- (vii) लेखा परीक्षा समिति द्वारा सर्वग्राही अनुमोदन निम्नलिखित लेनदेनों के लिए लागू नहीं होगा, जिनमें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं: -
- संबंधित पक्ष को सावधिक ऋण प्रदान करना;
  - चल या अचल संपत्ति की बिक्री या खरीद;
  - संबंधित पक्ष में शेयरों की खरीद या बिक्री;
  - कंपनी के उपक्रम की बिक्री या निपटान; या
  - कोई अन्य लेन-देन, जैसा कि लेखा परीक्षा समिति आवश्यक समझी जाती है, सर्वग्राही अनुमोदन के दायरे से बाहर होना।

ख. ऐसी सर्वग्राही अनुमोदन निर्दिष्ट करेगी:-

- (i) संबंधित पक्ष के नाम (मों), लेन-देन की प्रकृति और अवधि, लेन-देन की अधिकतम राशि जो दर्ज की जा सकती है, एक वर्ष में कुल मिलाकर, प्रति लेन- देन अधिकतम मूल्य जिसकी अनुमति है,
- (ii) सांकेतिक आधार पर मूल्य / चालू अनुबंधित मूल्य और मूल्य में परिवर्तन के लिए सूत्र यदि कोई हो, और
- (iii) ऐसी अन्य शर्तें जो लेखा परीक्षा समिति ठीक समझे।

हालांकि, जहां संबंधित पक्ष के लेन-देन की आवश्यकता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और पूर्वोक्त विवरण उपलब्ध नहीं हैं, लेखापरीक्षा समिति ऐसे लेन-देन के लिए सर्वग्राही अनुमोदन प्रदान कर सकती है, बशर्तें कि उनका मूल्य प्रति लेन-देन 1 करोड़ रुपये से अधिक न हो।

ग. इस तरह के सर्वग्राही अनुमोदन एक वित्तीय वर्ष से अधिक की अवधि के लिए मान्य नहीं होंगे और ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नए अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

घ. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 में निर्दिष्ट लेन-देन के अलावा किसी भी लेन-देन के मामले में और जहां लेखा परीक्षा समिति लेन-देन को मंजूरी नहीं देती है, वह बोर्ड को अपनी सिफारिशें देगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के नियम 23(5) के प्रावधानों के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति के अनुमोदन की आवश्यक धारा 188 में संदर्भित लेन-देन के अलावा लेन-देन पर लागू नहीं होगी। अधिनियम के, आरईसी और इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी (यों) के बीच, जिनके खातों को आरईसी के खातों के साथ समेकित किया गया है और अनुमोदन के लिए आम बैठक में शेयरधारकों के सामने रखा गया है।

iv **निदेशक मंडल:** सभी संबंधित पक्ष के लेन-देन, जो कंपनी द्वारा दर्ज किए जाने का प्रस्ताव है (i) कारोबार के सामान्य कार्यप्रणाली के अलावा; और / या (ii) आर्म्स लेंथ बेसिस के अलावा, बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित करने के माध्यम से कंपनी के निदेशक मंडल के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

जहां कोई निदेशक किसी संबंधित पक्ष के लेन-देन में रुचि रखता है, ऐसे निदेशक इस तरह के लेन-देन से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान से दूर रहेंगे।

निम्नलिखित अधिकारी इस नीति के खंड के अनुसार सभी संबंधित पक्ष के लेन-देन के संबंध में लेखा परीक्षा समिति और / या निदेशक मंडल के समक्ष एजेंडा रखने के लिए जिम्मेदार होंगे, जिसके लिए अनुमोदन (सर्वग्राही अनुमोदन या अनुसमर्थन सहित) की आवश्यकता होती है:

| क्र. सं. | संबंधित पक्ष लेन-देन के प्रकार   | लेखा परीक्षा समिति/निदेशक मंडल, जैसा भी मामला हो, के समक्ष एजेंडा रखने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति  |
|----------|--|--|
| 1        | उधारियाँ, संसाधन-जुटाना, अधिशेष निधि के निवेश, बैंकिंग, वित्त और लेखा से संबंधित मामले                                   | वित्त / कराधान / संसाधन-जुटाना / बैंकिंग आदि के संबंधित विभागों के प्रमुख (विभागाध्यक्ष)<br>(कार्यपालक निदेशक / मुख्य महाप्रबंधक के स्तर से नीचे नहीं) |
| 2        | ऋणों की स्वीकृति और संवितरण से संबंधित मामले (बाद में छूट/संशोधन आदि के प्रस्तावों और ब्याज दर पर छूट सहित, यदि कोई हो,) | उत्पादन, टीएंडडी, ऋण या नवीकरणीय ऊर्जा प्रभाग के संबंधित विभागाध्यक्ष (कार्यपालक निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक के स्तर से नीचे नहीं)                        |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | या संबंधित आंचलिक प्रबंधक / मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक  |
| 3 | किसी भी वस्तु या सामग्री या उपकरण की बिक्री, खरीद या आपूर्ति से संबंधित मामले   | प्रशासन / आईटी विभाग / कोई अन्य संबंधित विभाग के संबंधित विभागाध्यक्ष (कार्यपालक निदेशक / मुख्य महाप्रबंधक के स्तर से नीचे नहीं) या संबंधित आंचलिक प्रबंधक / मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक |
| 4 | परामर्शदाता की नियुक्ति सहित किसी व्यक्ति से कोई सेवा प्राप्त करने या किसी व्यक्ति को कोई सेवा प्रदान करने से संबंधित मामले   | संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष (कार्यपालक / निदेशक / मुख्य महाप्रबंधक के स्तर से नीचे नहीं) या संबंधित आंचलिक प्रबंधक / मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक                                       |
| 5 | किसी भी प्रकार की संपत्ति की खरीद, बिक्री या अन्यथा निपटान, या पट्टे पर देने से संबंधित मामले   | एस्टेट विभाग या किसी अन्य संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष (कार्यपालक निदेशक / मुख्य महाप्रबंधक के स्तर से नीचे नहीं)   |
| 6 | सीएसआर गतिविधियों से संबंधित मामले  | सीएसआर विभाग के विभागाध्यक्ष (कार्यपालक निदेशक / मुख्य महाप्रबंधक के स्तर से नीचे नहीं)  |
| 7 | अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति सहित सभी मानव संसाधन, कॉर्पोरेट संचार (सीसी) और कार्मिक संबंधी मामले  | मानव संसाधन / सीसी विभाग के विभागाध्यक्ष (कार्यपालक निदेशक/ मुख्य महाप्रबंधक के स्तर से नीचे नहीं)   |
| 8 | कंपनी के किसी भी अनुभाग से संबंधित अन्य मामलों के लिए, जो विशेष रूप से ऊपर कवर नहीं किया गया है, और इस नीति में परिभाषित "संबंधित पक्ष के लेन-देन" की परिभाषा के अंतर्गत आता है | संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष (कार्यपालक, निदेशक / मुख्य महाप्रबंधक के स्तर से नीचे नहीं)  |

V. **कंपनी के शेयरधारक:** निम्नलिखित मामलों में कंपनी के शेयरधारकों का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा:-

- (क) सभी संबंधित पक्ष के लेन-देन की महत्ता; तथा
- (ख) अन्य सभी संबंधित पक्ष के लेन-देन, जो कारोबार के सामान्य क्रम में नहीं हैं और/या आर्म्स लेंथ बेसिस पर दर्ज नहीं किए गए हैं, जिनका मूल्य कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निर्धारित सीमा से अधिक है, जिसे कंपनी के नियम 15 के साथ पढ़ा जाता है (बोर्ड की

बैठकें और उसकी शक्तियाँ) नियम, 2014, जैसा कि एक सामान्य प्रस्ताव के माध्यम से नीचे दिया गया है: -

| क्र. सं. | कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अनुसार लेन-देन की प्रकृति  | शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रारंभिक सीमा      |
|----------|---|---|
| 1        | किसी भी वस्तु या सामग्री की बिक्री, खरीद या आपूर्ति   | कंपनी के टर्नओवर का दस प्रतिशत या अधिक।                   |
| 2        | किसी भी प्रकार की संपत्ति को बेचना या अन्यथा निपटाना, या खरीदना   | कंपनी के नेटवर्थ का दस प्रतिशत या अधिक।                   |
| 3        | किसी भी प्रकार की संपत्ति को पट्टे पर देना  | कंपनी के टर्नओवर का दस प्रतिशत या अधिक।                   |
| 4        | किसी भी सेवा का लाभ उठाना या प्रदान करना  | कंपनी के टर्नओवर का दस प्रतिशत या अधिक।                   |
| 5        | वस्तु, सामग्री, सेवाओं या संपत्ति की खरीद या बिक्री के लिए किसी एजेंट की नियुक्ति।                          | उपरोक्त बिंदु 1, 2 और 4 में ऊपर निर्धारित सीमा के अनुसार। |
| 6        | ऐसी संबंधित पक्ष की कंपनी, उसकी अनुषंगी कंपनी या सहायक कंपनी में किसी कार्यालय या लाभ के स्थान पर नियुक्ति; | ₹2.50 लाख प्रति माह से अधिक का मासिक पारिश्रमिक           |
| 7        | कंपनी की किसी प्रतिभूति या उसके व्युत्पन्न सदस्यता को हामीदारी करना।  | कंपनी के नेटवर्थ के 1% से अधिक।                           |

#### स्पष्टीकरण :-

- बिंदु संख्या 1 से 4 में निर्दिष्ट प्रारंभिक सीमा लेन-देन या व्यक्तिगत रूप से दर्ज लेन-देन या एक वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेन-देन के साथ मिलकर लागू होंगे।
- टर्नओवर या नेटवर्थ की गणना पिछले वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर की जाएगी।
- सभी संबंधित पक्ष के लेन-देन की महत्ता के लिए शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी और कोई भी संबंधित पक्ष के ऐसे प्रस्तावों को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेगा, भले ही एंटीटी विशेष लेन-देन के लिए एक पक्ष हो या नहीं। हालांकि, यह दिवाला संहिता की धारा 31 के तहत अनुमोदित प्रस्ताव योजना के संबंध में लागू नहीं होगा, बशर्ते कि प्रस्ताव योजना को मंजूरी मिलने के एक दिन के भीतर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को घटना का खुलासा किया जाए।

- धारक कंपनी द्वारा पारित प्रस्ताव पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी और धारक कंपनी के मध्य लेन-देन करने के उद्देश्य से पर्याप्त है।

#### **छूट:-**

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुरूप, शेयरधारकों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:-

1. आरईसी और इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों, जिनके खातों को आरईसी के खातों के साथ समेकित किया गया है और अनुमोदन के लिए आम बैठक में शेयरधारकों के सामने रखा गया है, के बीच लेन-देन किए जाने हैं,
2. सूचीबद्ध धारक कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों के बीच लेन-देन किया जाना है, जिनके खाते ऐसी धारक कंपनी के साथ समेकित हैं और अनुमोदन के लिए आम बैठक में शेयरधारकों के सामने रखे गए हैं, और
3. किसी अन्य सरकारी कंपनी के साथ उसके द्वारा किए गए अनुबंधों या व्यवस्थाओं के संबंध में।

#### **VI. संबंधित पक्ष के लेन-देन के संबंध में लेखापरीक्षा समिति, निदेशक मंडल और शेयरधारकों के पूर्व अनुमोदन की मांग के लिए दी गई सूचना**

संबंधित पक्ष के लेन-देन के संबंध में अनुमोदन की मांग करने वाली लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड की बैठक का एजेंडा निम्नलिखित पर प्रकाश डालेगा :

- (क) संबंधित पक्ष का नाम और सूचीबद्ध एंटीटी या उसकी अनुषंगी कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति;
- (ख) कंसर्न की प्रकृति (वित्तीय या अन्यथा), अनुबंध या व्यवस्था की अवधि और विवरण;
- (ग) मूल्य सहित अनुबंध या व्यवस्था के प्रकार, महत्वपूर्ण शर्तें और विवरण, यदि कोई हो;
- (घ) अनुबंध या व्यवस्था के लिए अग्रिम भुगतान या प्राप्ति, यदि कोई हो;
- (ङ) मूल्य निर्धारण और अन्य वाणिज्यिक मानदंडों को निर्धारित करने का तरीका, दोनों को अनुबंध के हिस्से के रूप में शामिल किया गया और और अनुबंध के हिस्से के रूप में नहीं माना जाता है;
- (च) तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए आरईसी के वार्षिक समेकित टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में प्रस्तावित लेन-देन का मूल्य और संबंधित पक्ष लेन-देन के लिए अनुषंगी कंपनी से संबंधित लेनदेन के लिए, इस तरह के प्रतिशत की गणना स्टैंडअलोन आधार पर अनुषंगी कंपनी के वार्षिक कारोबार के आधार पर की जाती है;
- (छ) यदि लेन-देन किसी भी ऋण, इंटर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या सूचीबद्ध इकाई या उसकी अनुषंगी कंपनी द्वारा किए गए या दिए गए निवेश से संबंधित है:

- (i) प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में धन के स्रोत का विवरण;
- (ii) जहां ऋण, इंटर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश करने या देने के लिए कोई वित्तीय ऋणग्रस्तता होती है,
  - ऋणग्रस्तता की प्रकृति
  - धन की लागत; तथा
  - कार्यकाल;
- (iii) अनुबंध, कार्यकाल, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची सहित लागू शर्तें, चाहे सुरक्षित हों या असुरक्षित; यदि सुरक्षित है, तो सुरक्षा की प्रकृति;
- (iv) वह उद्देश्य जिसके लिए आरपीटी के अनुसार ऐसी निधियों के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधियों का उपयोग किया जाएगा।
- (ज) आरपीटी सूचीबद्ध एंटीटी के हित में क्यों है इसका औचित्य;
- (झ) मूल्यांकन या अन्य बाहरी पक्ष रिपोर्ट की एक प्रति, यदि ऐसी किसी रिपोर्ट पर भरोसा किया गया हो;
- (ञ) प्रतिपक्ष के वार्षिक समेकित टर्नओवर का प्रतिशत जो स्वैच्छिक आधार पर प्रस्तावित आरपीटी के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है;
- (ट) क्या अनुबंध से संबंधित सभी कारकों पर विचार किया गया है, यदि नहीं, उन कारकों पर विचार नहीं करने के औचित्य के साथ कारकों का विवरण; तथा
- (ठ) प्रस्तावित लेन-देन पर निर्णय लेने के लिए लेखा परीक्षा समिति / बोर्ड के लिए प्रासंगिक या महत्वपूर्ण कोई अन्य जानकारी।

इसके अलावा, शेयरधारकों के अनुमोदन की मांग करने वाली एक सामान्य बैठक की सूचना के साथ संलग्न किए जाने वाले व्याख्यात्मक विवरण में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे:-

- i. संबंधित पक्ष का नाम;
- ii. निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का नाम जो संबंधित है, यदि कोई हो;
- iii. संबंध की प्रकृति;
- iv. प्रकृति, महत्वपूर्ण मानदंड, मौद्रिक मूल्य और अनुबंध या व्यवस्था का विवरण; तथा
- v. ऊपर निर्दिष्ट लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल को प्रदान की गई जानकारी का सारांश;
- vi. प्रस्तावित लेनदेन सूचीबद्ध एंटीटी के हित में क्यों है इसका औचित्य;
- vii. जहां लेन-देन किसी भी ऋण, इंटर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या सूचीबद्ध एंटीटी या उसकी अनुषंगी कंपनी द्वारा किए गए या दिए गए निवेश से संबंधित है, उपरोक्त बिंदु (छ) में निर्दिष्ट विवरण,

धन के स्रोत और धन की लागत को छोड़कर ये आरईसी पर लागू नहीं है क्योंकि आरईसी एक एनबीएफसी है;

- viii. एक विवरण जिसमें मूल्यांकन या अन्य बाहरी रिपोर्ट, यदि कोई हो, को प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा भरोसा किया गया है जिसे शेयरधारकों के पंजीकृत ईमेल पता के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा;
- ix. प्रतिपक्ष के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत जो स्वैच्छिक आधार पर प्रस्तावित आरपीटी के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है; तथा
- x. प्रस्तावित संकल्प पर निर्णय लेने के लिए सदस्यों के लिए प्रासंगिक या महत्वपूर्ण कोई अन्य जानकारी।

## **VII. संबंधित पक्ष के साथ ऐसे लेन-देन का अनुसमर्थन जो लेखा परीक्षा समिति/बोर्ड/शेयरधारकों, जैसा भी मामला हो, के अनुमोदन के बिना किए गए हों।**

असाधारण परिस्थितियों में, जहां किसी भी संबंधित पक्ष लेन-देन के संबंध में लेखा परीक्षा समिति, निदेशक मंडल और / या शेयरधारकों, जैसा भी मामला हो, की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना संभव नहीं है, तो इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता होगी लेखा परीक्षा समिति, निदेशक मंडल और/या शेयरधारक, संबंधित पक्ष लेन-देन में प्रवेश करने के तीन महीने की अवधि के भीतर, जैसा भी मामला हो,

इसके अलावा, लेखा परीक्षा समिति / बोर्ड / शेयरधारकों द्वारा संबंधित पक्ष लेन-देन के अनुसमर्थन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय, संबंधित डिवीजन एजेंडा नोट में पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना संबंधित पक्ष लेन-देन में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त औचित्य शामिल करेगा।

ऐसी परिस्थितियों में जहां:

- (i) कोई भी लेन-देन जिसमें कोई भी राशि परंतु एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं, को कंपनी के निदेशक या अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा समिति के अनुमोदन के बिना शामिल किया गया है, और/या
- (ii) कोई अनुबंध या व्यवस्था जिसे बोर्ड या शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति के बिना दर्ज किया जाता है, जैसा भी मामला हो;

और लेन-देन की तारीख से तीन महीने के भीतर या जिस तारीख को ऐसा अनुबंध या व्यवस्था दर्ज की गई थी, उसके तीन महीने के भीतर ऑडिट कमेटी / बोर्ड / शेयरधारकों द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जाती है, ऐसा लेन-देन लेखा परीक्षा समिति / बोर्ड / के विकल्प पर शून्य हो जाएगा। शेयरधारक, जैसा भी मामला हो, और यदि लेन-देन, अनुबंध या व्यवस्था किसी

निदेशक के संबंधित पक्ष के साथ है या किसी अन्य निदेशक द्वारा अधिकृत है, तो संबंधित निदेशक कंपनी द्वारा किए गए किसी भी नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करेगा।

### VIII. प्रकटीकरण

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अनुसार बोर्ड/शेयरधारकों के अनुमोदन से संबंधित पक्ष के साथ किए गए प्रत्येक अनुबंध या व्यवस्था को ऐसे अनुबंधों या प्रबंध में प्रवेश करने के औचित्य के साथ बोर्ड की रिपोर्ट में शेयरधारकों को संदर्भित किया जाना आवश्यक है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के साथ पठित 1 अप्रैल 2014 को या उसके बाद शुरू होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संबंधित पक्षकारों के साथ अनुबंधों या व्यवस्था का विवरण कंपनी के बोर्ड की रिपोर्ट में फॉर्म एओसी-2 (इस नीति के साथ **अनुलग्नक I** के रूप में संलग्न) के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।

2. स्टॉक एक्सचेंजों को आगे जमा करने के लिए निगमित सुशासन पर अनुपालन रिपोर्ट के साथ संबंधित पक्षकारों के साथ सभी महत्वपूर्ण लेन-देन के विवरण का प्रकटन त्रैमासिक रूप से किया जाएगा।
3. संशोधित सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के अनुसार, कंपनी, छमाही के लिए अपने स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर, प्रकटीकरण समेकित आधार पर संबंधित पक्ष लेन-देन जमा करेगी, स्टॉक एक्सचेंजों को वार्षिक परिणामों के लिए प्रासंगिक लेखा मानकों में निर्दिष्ट प्रारूप और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करें। इसके अतिरिक्त, उक्त प्रकटीकरण को लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल द्वारा छमाही आधार पर समीक्षा के लिए रखा जाएगा।

बशर्ते आगे कि 1 अप्रैल, 2023 से, सूचीबद्ध एंटीटी अपने स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों के प्रकाशन की तारीख पर हर छह महीने में इस तरह के प्रकटन करेगी।

4. इस नीति का प्रकटन कंपनी की वेबसाइट पर किया जाएगा और वार्षिक रिपोर्ट में इसका एक वेब लिंक प्रदान किया जाएगा।
5. लागू की गई वैधानिक प्रावधानों के अनुसार कोई अन्य प्रकटन जैसा आवश्यक हो।

### IX. समीक्षा करने की शक्ति

निदेशक मंडल को हर तीन साल में कम से कम एक बार नीति में संशोधन/समीक्षा करने का अधिकार होगा।

## X. स्पष्टीकरण

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से कंपनी सचिव इस नीति के किसी भी खंड पर, यदि आवश्यक हो, कोई स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए अधिकृत है।

\*\*\*\*\*

प्रपत्र संख्या एओसी-2

**(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबद्ध पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें उसके तीसरे प्रावधान के तहत कुछ आर्म्स लेंथ लेन-देन शामिल हैं।

1. ऐसे अनुबंध या व्यवस्था अथवा लेन-देन के ब्योरे, जो आर्म्स लेंथ बेसिस पर नहीं हैं :
  - (क) संबद्ध पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति,
  - (ख) अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की प्रकृति,
  - (ग) अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की अवधि,
  - (घ) अनुबंध या व्यवस्था या लेन-देन जिनमें कीमत शामिल है, की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो,
  - (ङ) ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं अथवा लेन-देन के लिए औचित्य,
  - (च) निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन की तिथि,
  - (छ) अग्रिम तौर पर भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो,
  - (ज) जिस तारीख को आम बैठक में विशेष संकल्प पारित किया गया जो कि धारा 188 के प्रथम परंतुक के तहत अपेक्षित है।
  
2. अनुबंध या व्यवस्था अथवा लेन- देन के ब्योरे जो आर्म्स लेंथ बेसिस पर हैं:
  - (क) संबद्ध पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति,
  - (ख) अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की प्रकृति,
  - (ग) अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की अवधि,
  - (घ) अनुबंध या व्यवस्था या लेन-देन जिनमें कीमत शामिल है, की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो,
  - (ङ) ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं अथवा लेन-देन के लिए औचित्य,
  - (च) निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई हो,
  - (छ) अग्रिम तौर पर भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो,

(प्रपत्र पर उन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिन्होंने बोर्ड की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए हैं)

\*\*\*\*\*